प्र0क0 92ए/17

न्यायालय प्रथम सिविल जज वर्ग 2, भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष—: शरद जायसवाल)

व्य0प्रक0क0— 92ए / 17 संस्थित दिनांक 4.7.2017

दुलारे सिंह पुत्र विजय सिंह उम्र 65 वर्ष धंधा— कृषि, निवासी— ग्राम गोपालपुरा तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0

....वादी / आवेदक

विरुद्ध

मु० भागवती बेबा रामबहादुरसिंह उम्र ७० वर्ष व्यवसाय— कृषि एवं गृहकार्य, निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील व जिला भिण्ड म०प्र०.....आदि।

.....प्रतिवादीगण / अनावेदकगण

आदेश (आज दिनांक 13.3.18 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा वादी / आवेदक द्वारा प्रस्तुत आई.ए.एन.1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2. एवं धारा 151 सि.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 3— वादी का आवेदन इस प्रकार है कि मौजा गोपालपुरा के आराजी क0 305 रकवा 1.100, आराजी क0 522 रकवा 0.260, आराजी क0 531 रकवा 0.410 आराजी क0 533 रकवा 0.170 पर वादी ने तत्कालीन भूमि स्वामियों की जानकारी में करीब 26 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर काश्त करना प्रारंभ कर दिया था तभी से प्रतिवादीगण की जानकारी में वादी बिना किसी बाधा के लगातार काबिज काश्त है। वादी को विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमि स्वामी के स्वत्य प्राप्त हो चुके है। नायब तहसीलदार वृत्त पिपरी जिला भिण्ड के आदेश से दिनांक 28.9.2004 को विवादित भूमि पर वादी का कब्जा होना घोषित किया गया जिसकी प्रतिवादीगण ने कोई अपील नहीं की। प्रति0 क0 1 लगायत 5 वादी के कब्जे व काश्त में हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत् है। वादी को बिना किसी विधिक प्रकिया के जबरन बेदखल करने से अथवा वादोक्त भूमि को अन्यत्र विक्रय किये जाने से

प्र0क0 92ए/17

क्षित होगी। वादी का कब्जा राजस्व पत्रों में दर्शित होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षित का सिद्धांत वादी के पक्ष में है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोका जावे।

4- प्रतिवादीगण एकपक्षीय है।

- 5— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है:—
 - (अ) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
- (ब) क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादी को अपूर्णनीय क्षिति होगी ?
 - (स) क्या सुविधा का संतुलन का वादी के पक्ष में है ?

//विचारणीय बिंदु कमांक 01 की विवेचना//

सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है अर्थात् क्या वादी/आवेदक द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। वादी ने अपने अभिवचन अनुरूप कथन किया है कि आराजी क0 305 रकवा 1.100, 522 रकवा 0.260, 531 रकवा 0.410, 533 रकवा 0.170 को तत्कालीन भूमि स्वामियों की जानकारी से 26 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर काश्त प्रारंभ कर दिया था। तभी से प्रतिवादीगण की जानकारी में बिना बाधा के लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादी ने अपने समर्थन में खसरा संवत् 2016–17 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके कॉलम नंबर 12 में वादीगण का कब्जा वर्ष 28.9.2004 से घोषित किया गया है साथ ही कॉलम नंबर 3 में प्रतिवादीगण का नाम भी कब्जेदार के रूप में अंकित है। अस्थायी निषेधाज्ञा एक साम्यपूर्ण अनुतोष है जिसे प्राप्त करने वाले को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए। वादी अपने अभिवचन अनुरूप स्वीकार करता है कि वह अतिचारी के रूप में वादोक्त भूमि पर कब्जा रखता है। बस उसके कब्जे को एक लम्बा समय हो गया है। अतिचारी का कब्जा चाहे कितना भी लम्बे समय से चला आ रहा हो उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। कब्जा ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ विधिक मान्यता हो कमल सिंह विरूद्ध जसराम सिंह 1986(1) एम0पी0 डब्लू0एन0 116 में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपारित किया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा केवल आधिपत्य के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा शक्ति के बल पर सम्पत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति इसका लाभ लेंगे। आधिपत्य ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ विधिक मान्यता हो। महादेव सावल राम विरुद्ध पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1995 3 एस0एस0एस0 33 में प्रतिपादित किया गया है कि वास्तविक स्वामी के विरूद्ध और अवैध आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में व्यादेश नहीं देना चाहिए। पूर्वोक्त न्यायदृष्टांत और विवेचना के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

//विचारणीय बिंदु कमांक 02 व 03 की विवेचना//

7— जहां तक प्रश्न सुविधा के संतुलन का है कि यदि वाद लम्बन के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गयी तो किस पक्ष को सबसे ज्यादा असुविधा होगी। वादी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहे हैं। इसके विपरीत अस्थायी निषेधाज्ञा न देने से वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति एवं असुविधा होना भी दर्शित नहीं है। अतः अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धांत भी वादी/आवेदक के पक्ष में पाया जाता है।

8— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के सिद्धांत वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सि0प्र0सं0 अस्वीकार किया जाता है।

9— यह आदेश वाद के अंतिम निराकरण तक या न्यायालय के आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

10— इस आदेश का वाद के अन्तिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

11- उभय पक्ष स्वयं आवेदन का व्यय वहन करेगें।

मेरे बोलने पर लिखा गया

स्थान— भिण्ड दिनांक—.....

सही / — शरद जायसवाल प्रथम सिविल जज वर्ग 2 भिण्ड म०प्र०